दावा सं. 24/18 क्रमसंख्या / अंकमाई

राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट
दिनांक 5.6.18 ग्राम पंचायत..... खायला

5.6.18 पंचायत कैम्प में आज आवेदक (1) के एवं वकील
(आवेदक) की उपस्थिति में वकील को सुना। आवेदक की
जानकारी में इस विषय में निर्णय लिया गया। दावे
में प्रतिकूल प्रभाव (ब) 9 के (क) (ख)
के अनुसार प्राथमिक डिक्री लिखा जाता है
को प्राथमिक डिक्री का गठन किया। तहसीलदार
मेड़ता एवं मौके पर जाकर पंचनामा
को सुनिश्चित कर दावे के संतुष्ट होने पर
9 क (क) (ख) के अनुसार मौके पर
बोर्ड की स्वीकृति पाकर बोर्ड
की स्वीकृति लिखाकर प्राथमिक
डिक्री में पेश करें। प्राथमिक डिक्री पत्र
माननीय पंचायत दिनांक 10-9-2018
को पेश हो।

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (मेड़ता)
राजस्व लोक अदालत

सदस्य (जिला प्रमुख)
राजस्व लोक अदालत
मेड़ता

तहसीलदार (सदस्य)
राजस्व लोक अदालत
मेड़ता

17.7.18 वकील की केवियट पत्र पर पंचायत का पत्र मिला है।
वकील को नोटिस देकर पंचायत के समक्ष उपस्थित
होगा है जिसमें वाद जारी डिक्री जारी करने का निवेदन
किया गया है। इसका पत्र प्राप्त किया वकील की उपस्थिति
में आवेदक का दावा वापसी जारी withdrawal
जारी किया जाता है। पंचायत कैम्प समाप्त होकर
वाद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner